वाणिज्यिक कर आयुक्त, इंदौर और अन्य

बनाम

टी. टी. के. हेल्थ केयर लिमिटेड

11 अप्रैल, 2007

[एस.एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.]

एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 - एस. 2 (जी) अनुसूची II-भाग I, प्रविष्टि 2 और भाग VII, प्रविष्टि 1-'फ्रायमस' (भुंगारा) के अर्थ में 'पका हुआ भोजन' नहीं धारा 2 (जी) के अन्तगर्त क्योंकि यह सीधे उपभोग योग्य नहीं है और इसे तलने की आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और इसे उपभोग्य बनाने के लिए परिरक्षकों को जोड़ना-परिणामस्वरूप इसे अनुसूची II की प्रविष्टि 2, भाग I के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

विधानों की व्याख्या-समावेशी परिभाषा- विधायी आशय- निर्धारित किया गयाः परिभाषा को गणनात्मक बनाना है और संपूर्ण नहीं।

शब्द और वाक्यांश-शब्द "पका हुआ भोजन"-का अर्थ-संदर्भ में धारा 2 (छ) एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा है वह है - क्या निर्धारिती-प्रत्यर्थी द्वारा किए गए 'फ्रायम' प्रविष्टि 2, भाग I, अनुसूची II के तहत आते हैं जो 'पका हुआ भोजन' को संदर्भित करता है या एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के भाग VII, अनुसूची II में अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत आते हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया :

1.1. एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 2 (जी) 'पका हुआ भोजन' शब्द को परिभाषित करती है। इसमें मिठाइयां, बटाशा, मिश्री, श्रीखंड, रबड़ी, दूधपाक, चाय और कॉफी लेकिन इसमें आइसक्रीम, कुल्फी, आइस-कैंडी, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी, लोजेंज और मावा शामिल नहीं हैं। वस्तु 'पका हुआ भोजन' समावेशी परिभाषा है जो उदाहरण से यह दर्शाती है कि विधायिकाओं का क्या अर्थ है जब उन्होंने 'पका हुआ भोजन' शब्द का उपयोग किया है। परिभाषा के उपरोक्त समावेशी भाग को पढ़ने से पता चलता है कि केवल उपभोग्य वस्तुएं 'पका हुआ भोजन' शब्द में शामिल करने की मांग की गई। 'फ्रायम' के मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आटा/बेस एक अर्ध-भोजन है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 'फ्रायम' के मामले में खाना पकाने की एक और प्रक्रिया की आवश्यकता थी। 'फ्रायम' प्लास्टिक के थैलों में आते थे। इन 'फ्रायम' को उपभोक्ता के स्वाद के आधार पर तला जाना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में 'फ्रायम' सेवईयों की तरह थे।

"फ्रायम को खाद्य तेल में तलना आवश्यक था। उस तेल को गर्म करना पड़ता था। 'फ्रायम' उपभोग्य बनने से पहले कुछ प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में वस्तु 'फ्रायम' 'पका हुआ भोजन' शब्द के दायरे में नहीं आएगी जो 1994 के अधिनियम की अनुसूची II के आइटम 2 भाग I के तहत है, यह अवशिष्ट वस्तु "अन्य सभी सामान जो अनुसूची I के किसी भी हिस्से में शामिल नहीं हैं" के अंतर्गत आएगा।" [पैरा 12] [5-डी-जी]

1.2. जब परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसा कि मामला है 1994 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत, विधायिका परिभाषा को प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं रखती है; यह परिभाषा को गणनात्मक बनाती है और संपूर्ण नहीं, यानी परिभाषित शब्द अपने सामान्य अर्थ को बनाए रखेगा लेकिन इसका दायरा होगा कुछ मामलों को अवधि के भीतर लाने के लिए विस्तारित किया जाएगा जो

इसके सामान्य अर्थ में शामिल हो सकते हैं या नहीं भी। धारा 2 (जी) में 'पका हुआ भोजन' शब्द 1994 का अधिनियम परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग करता है। कथित शब्द 'पका हुआ भोजन' परिभाषा को गणनात्मक बनाता है जब इसमें उक्त शब्द के भीतर मिठाई, बटाशा, मिश्री, श्रीखंड, दूधपत, चाय और कॉफी शामिल होते हैं। जब इसमें मिठाइयों, मिश्री, बटाशा, दूधपाक, चाय और कॉफी जैसी वस्तुओं की गणना की जाती है तो गणना की गई वस्तुएं विधायी इरादे की जांच करने में मदद करती हैं। धारा 2 (जी) के तहत विधायी इरादा उपभोग्य सामग्रियों को शामिल करना है। संबंधित समय में 'फ्रायम' सीधे उपभोग्य नहीं थे। वे अधपके हुए पदार्थ थे। वे अर्ध-पके हुए पदार्थ थे। उन्हें तलने और परिरक्षक। जोड़ने की आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता थी ताकी उन्हें निर्दिष्ट समय के बाद भी उपभोग्य बनाया जा सके। लेकिन परिरक्षकों के लिए वस्तुएँ बासी हो गई होंगी। [पैरा 13] [5-एच; 6-ए-सी]

भारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम सहकारी बैंक कर्मचारी संघ, (2007) 5 स्केल 57 पर भरोसा किया गया।

बिक्री कर आयुक्त एम.पी., इंदौर बनाम श्री बल्लभदास ईश्वरदास, बॉम्बे बाजार, खंडवा, (1968) 21 एस. टी. सी. 309 और बिक्री कर आयुक्त, एम. पी. बनाम। इंडिया कॉफी वर्कर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जबलपुर, (1970) 25 एस.टी.सी. 43, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2002 की सिविल अपील सं. 309।

उच्च न्यायालय के 01.03.2001 दिनांकित निर्णय और आदेश से मध्य प्रदेश, 2001 के एल. पी. ए. सं. 40 में इंदौर में पीठ।

डॉ. एन.एम. घाटते, सी. डी. सिंह, मेरुसागर सामंताराय और वैराग्य अपीलार्थियों के लिए वर्धन।

कमिश्नर वाणिज्यिक कर, इंदौर "टी.टी.के. हेल्थ केयर लिमिटेड [कपाडिया, जे।]

गौतम नारायण, अमित गुप्ता, अंकित सिंघल और निखिल नय्यर उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कापडिया, जे.

1. विशेष अनुमति याचिका के अनुदान द्वारा यह दीवानी अपील यह वर्गीकरण विवाद से संबंधित है। निर्धारिती के अनुसार 'फ्रायम' अनुसूची II के भाग I की मद संख्या 2 के अंतर्गत आता है जो 'पका हुआ भोजन' को संदर्भित करता है और जिसमें इस मामले में कर की दर 4 प्रतिशत है। दूसरी ओर, विभाग के अनुसार वस्तु 'फ्रायम' एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की अनुसूची II के भाग VII के अंतर्गत आती है। जिसके तहत कर की दर 8 प्रतिशत है (पहले यह 6 प्रतिशत थी)

2. अतः संक्षिप्त प्रश्न जो इस सिविल अपील में निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है कि एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 में 'पका हुआ भोजन' शब्द का अर्थ । हालाँकि 'पका हुआ भोजन' अभिव्यक्ति को उक्त 1994 अधिनियम की धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया है । इस दीवानी अपील में हम आकलन वर्ष 1992-93 और 1993-94 से संबंधित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारिती एम. पी. सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1958 और उसके बाद एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के तहत एक पंजीकृत डीलर है। यह विवाद में नहीं है कि निर्धारिती का 1994 के अधिनियम की उपरोक्त प्रविष्टियों के तहत मूल्यांकन किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1958 के अधिनियम को 1994 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और 1958 के अधिनियम के तहत बनाए गए मूल मूल्यांकन कार्यों को 1994 के अधिनियम के तहत बनाया गया माना गया है।

3. 12 मार्च, 1996 को सहायक आयुक्त, इंदौर ने मूल्यांकन किया ऊपर उल्लिखित अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत 8 प्रतिशत बिक्री कर पर 'फ्रायम' की बिक्री। उन्होंने आकलन वर्ष 1.4.92 से 31.3.93 के लिए 1.33 लाख (पूरा किया गया) रुपये के कर की मांग की। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने एक आवेदन में 1994 के अधिनियम की धारा 68 के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'फ्रायम' न तो नमकीन थे और न ही 'पका हुआ भोजन', न ही 'पापड़' और न ही 'अनाज', और इसलिए, वे 1994 के अधिनियम की अनुसूची II के भाग VII की उपरोक्त अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत कर योग्य थे। 20.6.1997 पर अपीलीय प्राधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया। इस मामले को पुनरीक्षण में ले जाया गया। पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया था।

4. सहायक आयुक्त ने 'फ्रायम' की बिक्री का आकलन किया था 1.4.1993 से 31.3.1994 तक शुरू होने वाली बाद की अवधि भी अवशिष्ट प्रविष्टि के ऊपर 8 प्रतिशत और बिक्री कर की राशि Rs.66,202 की मांग की।

5. उपरोक्त दोनों वर्ष के संबंध में हुए निर्णय से व्यथित निर्धारिती ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रीट याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक घोषणा के लिए प्रार्थना पेश किया कि ' फ्रायम को 'पके हुए भोजन' के रूप में रखा जाए जो इस अधिनियम 1958 के अनुसूची II के भाग I की प्रविष्टि IV के तहत कर के लिए उत्तरदायी हो जो 1994 के अधिनियम की अनुसूची II के भाग I की प्रविष्टि 2 के अनुरूप है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'फ्रायम' 'पका हुआ भोजन' है जिसका मूल्यांकन 1994 के अधिनियम की अनुसूची II के भाग I की प्रविष्टि 2 के तहत किया जा सकता है।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित विभाग इस मामले को डिवीजन बेंच में अपील में ले जाया गया जिसने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की है।

7. हम एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1944 की धारा 2 (छ)) को नीचे उद्धृत करते हैं। जो 'पका हुआ भोजन' शब्द को परिभाषित करता है।

> "2 (छ) 'पका हुआ भोजन' में मिठाई और मिठाई, मिश्री, बटाशा, चिरोंजी, श्रीखण्ड, रबडी, दुधपाक, तैयार चाय एवं कॉफी लेकिन इसमें आइसक्रीम, कुल्फी, आइसक्रीम कैंडी, गैर-मादक पेय जिसमें आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी, लोज़ेंग, पुदीने की बूंदें और मावा शामिल नहीं हैं।"

8. हम अनुसूची II के भाग I के नीचे दिए गए आइटम 2 को भी उद्धृत करते हैं। 1994 ऐसा अधिनियम जो 4 प्रतिशत की दर से कर लगाता है।

अनुसूची II

(31.12.1999 तक प्रभावी)

एस.नं.	वस्तु का वर्णन	कर की दर
भाग I		
1.	बिना सूती कपड़े	4 %
2	' पका हुआ भोजन '	4 %

9. हम नीचे भाग 1 की अवशिष्ट प्रविष्टि को भी उद्धृत करते हैं। एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची II का VII, जो शुल्क की दर 8 प्रतिशत (पहले 6 प्रतिशत) निर्धारित करता हैः

"एम. पी. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994

एस.नं. वस्तु का वर्णन कर की दर

भाग VII

1. "अन्य सभी सामान जो अनुसूची या अन्य किसी भी हिस्से में शामिल नहीं हैं" यह अनुसूची "।

10. बिक्री कर आयुक्त एम. पी., इंदौर बनाम. श्री बल्लभदास ईश्वरदास, बॉम्बे बाजार, खंडवा, (1968) 21 एस. टी. सी. 309 के मामले में यह माना गया है कि 'पका हुआ भोजन' शब्द को व्यापक अर्थों में नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि गर्मी, उबलने, पकाने, भूनने, ग्रिलिंग आदि के उपयोग से खाने के लिए उपयुक्त बनाई गई हर चीज को शामिल किया जा सके। यह शब्द इन पकाई गई वस्तुओं तक ही सीमित है जिसे आम तौर पर नियमित भोजन के समय लिया जाता है।

11. बिक्री कर आयुक्त, एम. पी. बनाम. इंडिया कॉफी वर्कर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जबलपुर, (1970) 25 एस. टी. सी. 43 के मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 'पका हुआ भोजन' शब्द को एम. पी. सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 10 (1) के साथ पठित अनुसूची I की वस्तु 9 के तहत शब्दों के विवरण से बाहर रखा गया है। कि, 'भोजन' शब्द को उस अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया था, और इसलिए, उस शब्द को आम बोलचाल के संदर्भ में समझना होगा और लोकप्रिय अर्थ। इसलिए यह माना गया कि आइसक्रीम, टोस्ट, तले हुए अंडे, सब्जी और मटन कटलेट जैसी वस्तुओं की आपूर्ति भोजन नहीं है हालाँकि उक्त वस्तुएँ भी खाने योग्य थीं।

12. वर्तमान मामले में हमने 'पका हुआ भोजन 'शब्द की परिभाषा का हवाला दिया है। यह एक समावेशी परिभाषा है। इसमें मिठाइयां, बटाशा, मिश्री, श्रीखंड, रबड़ी,

दूधपाक, चाय और कॉफी शामिल हैं लेकिन इसमें आइसक्रीम, कुल्फी, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी, लोजेंज और मावा शामिल नहीं हैं। कि वस्तु 'पका हुआ भोजन' समावेशी परिभाषा है जो चित्रण द्वारा इंगित करती है विधायिकाओं का क्या अर्थ है जब उन्होंने 'पका हुआ भोजन' शब्द का उपयोग किया है। परिभाषा के उपरोक्त समावेशी भाग को पढ़ने से पता चलता है कि केवल उपभोग्य सामग्रियों को 'पका हुआ भोजन' शब्द में शामिल करने की कोशिश की जाती है। 'फ्रायम' के मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आटा/बेस एक अर्ध-भोजन है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 'फ्रायम' के मामले में खाना पकाने की एक और प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह विवाद में नहीं है कि 'फ्रायम' प्लास्टिक की थैलियों में आते थे। इन 'फ्रायम' को उपभोक्ता के स्वाद के आधार पर तला जाना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि 'फ्रायम' सेवियों की तरह थे। फ्रायम को खाद्य तेल में तलना आवश्यक था। उस तेल को गर्म करना पड़ता था। 'फ्रायम' के उपभोग्य बनने से पहले कुछ प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में वर्तमान मामले में आइटम 'फ्रायम' 1994 के अधिनियम की अनुसूची II के भाग I के आइटम 2 के तहत 'पका हुआ भोजन' शब्द के भीतर नहीं आएगा। यह अवशिष्ट वस्तु "अन्य सभी सामान जो अनुसूची I के किसी भी हिस्से में शामिल नहीं हैं" के अंतर्गत आएगा।

13. भारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम संचालक बैंक कर्मचारी संघ, [2007] 5 स्केल 57, के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया धारा 2 (जी) में हम पाते हैं तब विधायिका की मन्शा परिभाषा को परिभाषित करना नही अपितु; यह परिभाषा को गणनात्मक बनाता है और संपूर्ण नहीं, अर्थात, परिभाषित शब्द अपने सामान्य अर्थ को बनाए रखेगा लेकिन इसका दायरा इस शब्द के भीतर कुछ मामलों को लाने के लिए बढ़ाया जाएगा जो इसके सामान्य अर्थ में शामिल हो

सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। उपरोक्त परीक्षण को 'पका हुआ भोजन' शब्द पर लागू करने पर जो धारा 2 (जी) 1994 के अधिनियम के तहत हम पाते है की उक्त शब्द अपनी परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग करता है। कथित शब्द 'पका हुआ भोजन' परिभाषा को घटनात्मक बनाता है जो इस शब्द के तहत मिठाइयाँ, मिश्री, बटाशा, दूधपाक, चाय और कॉफी जैसी वस्तुओं की गणना की जाती है. जब इसमें मिठाइयाँ, मिश्री, बटाशा, दूधपाक, चाय और कॉफी कि गणना की गई वस्तुओं से हमें विधायी इरादे की जांच करने में मदद मिलती है। वर्तमान मामले में विधायी इरादा धारा 2 (जी) के तहत उपभोग्य सामग्रियों को शामिल करना है। वर्तमान मामले में 'फ्रायम्स' संबंधित समय पर सीधे उपभोग योग्य नहीं थे। वे अधपके हुए पदार्थ थे। वे अर्ध-पके हुए पदार्थ थे। उन्हें तलने और परिरक्षकों को जोड़ने की आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता थी ताकि उन्हें उपयोग करने योग्य बनाया जा सके। लेकिन परिरक्षकों के लिए वस्तुएँ बासी हो गई होंगी।

14. उपरोक्त कारणों से हम विवादित निर्णय को दरकिनार कर देते हैं और लागत के बारे में बिना किसी आदेश के विभाग द्वारा दायर इस दीवानी अपील की अनुमति दें।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूर्णिमा यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।